भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2802

(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

सामाजिक क्षेत्रों में सीएसआर धनराशि का निवेश

2802. श्री मनोज तिवारीः

श्री रवि किशनः

श्री रविन्दर कुशवाहाः

श्री महाबली सिंहः

श्री सुब्रत पाठकः

डॉ. रामशंकर कठेरियाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश की शीर्ष 600 कंपनियों द्वारा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में निवेश की गई कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधि की कुल धनराशि उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों को वर्ष 2023-24 में अपने सीएसआर फंड को भूजल पुनर्भरण, सौर पैनलों और जल निकायों को प्रदूषण मुक्त बनाने में निवेश करने की सलाह दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनियों द्वारा एमसीए21 में फाइल किया गया कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित समस्त डाटा, कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार और क्षेत्र-वार डाटा सहित, सार्वजनिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा वार्षिक रूप से एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्ष (वि.व.) अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान शीर्ष 600 कंपनियों द्वारा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों पर विकास क्षेत्र-वार किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में दिया गया है।

शीर्ष 600 कंपनियों द्वारा उसी अवधि के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र-वार (उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित) किया गया सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर डाटा 31.03.2024 को या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां इस अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में यथा-निहित उपबंधों को पूरा करने के अध्यधीन अनुसूची-VII में उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप को सीएसआर के रूप में प्रारंभ कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार कंपनियों को किसी विशेष सीएसआर कार्यकलाप के संबंध में कोई सुझाव नहीं देती है।

*****

अनुलग्नक-I

<u>दिनांक 07.08.2023 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 2802 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

शीर्ष 600 कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का विकास क्षेत्रवार सारांश (राशि करोड़ में)				
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**
1	कृषि वानिकी	60.60	13.86	22.69
2	पशु कल्याण	43.65	92.21	43.39
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं / आश्रित	43.19	67.71	25.38
4	कला और संस्कृति	861.53	397.87	167.54
5	स्वच्छ गंगा निधि	1.00	5.77	43.68
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	132.35	64.18	219.19
7	शिक्षा	4,957.10	4,224.96	4,009.42
8	पर्यावरणीय स्थिरता	1,209.16	756.79	1,806.28
9	लैंगिक समानता	56.08	21.10	50.13
10	स्वास्थ्य देखभाल	3,646.81	5,328.82	5,310.33
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	896.40	724.04	634.46
12	केंद्र सरकार के अन्य फंड	779.31	1,330.24	202.64
13	गरीबी, भूखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	844.55	882.93	1,418.21
14	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	498.48	1,250.52	842.47
15	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,975.01	1,548.21	1,480.50
16	सुरक्षित पीने का पानी	189.29	142.41	107.58
17	स्वच्छता	442.82	262.51	252.26
18	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	25.76	22.72	17.20
19	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	34.70	20.12	82.91
20	अनाथालय की स्थापना	22.45	9.05	3.33
21	स्लम क्षेत्र का विकास	35.88	73.26	50.22
22	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	148.20	81.29	92.43
23	विशेष शिक्षा	133.82	135.96	79.77
24	स्वच्छ भारत कोष	26.08	136.69	18.05
25	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	37.19	37.36	4.81
26	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	236.96	175.30	214.91
27	व्यावसायिक कौशल	1,028.79	539.18	823.91
28	महिला सशक्तिकरण	164.99	102.03	144.63
29	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया *	500.99	199.08	-
कुल योग (करोड़ में)		**19,033.15**	**18,646.18**	**18,168.30**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल]

***कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को दर्शाया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 07.08.2023 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 2802 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शीर्ष 600 कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का राज्यवार सारांश (राशि करोड़ में)				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22
1	अंडमान और निकोबार	-	0.09	7.07
2	आंध्र प्रदेश	561.83	527.87	433.92
3	अरुणाचल प्रदेश	16.40	8.19	117.11
4	असम	259.82	147.49	375.80
5	बिहार	82.86	54.54	131.94
6	चंडीगढ़	8.60	1.30	40.08
7	छत् तीसगढ़	212.75	266.11	246.41
8	दादरा और नगर हवेली	10.06	9.80	5.00
9	दमन और दीव	3.23	0.55	1.08
10	दिल्ली	457.43	238.99	673.07
11	गोवा	9.20	14.06	4.86
12	गुजरात	502.98	831.01	820.16
13	हरियाणा	319.13	319.14	342.07
14	हिमाचल प्रदेश	51.29	75.57	114.17
15	जम्मू और कश्मीर	12.33	28.31	36.02
16	झारखंड	125.70	172.03	124.76
17	कर्नाटक	915.36	667.59	1,061.13
18	केरल	209.21	180.31	139.14
19	लेह और लद्दाख	-	-	12.27
20	मध्य प्रदेश	122.12	258.00	278.31
21	महाराष्ट्र	2,221.24	2,027.30	3,657.34
22	मणिपुर	8.38	5.61	9.53
23	मेघालय	13.36	11.89	10.01
24	मिजोरम	-	0.15	5.40
25	नागालैंड	0.55	2.99	4.69
26	ओडिशा	634.66	486.28	565.81
27	पुद्दुचेरी	4.30	4.84	3.18
28	पंजाब	107.48	60.08	74.56
29	राजस्थान	508.64	448.13	453.52
30	सिक्किम	8.42	14.62	26.78
31	तमिलनाडु	664.09	609.51	809.77
32	तेलंगाना	223.80	336.80	337.27
33	त्रिपुरा	7.16	5.00	11.27
34	उत्तर प्रदेश	362.65	580.85	968.10
35	उत्तराखंड	85.21	110.45	163.28
36	पश्चिम बंगाल	189.31	198.12	262.96
37	पैन इंडिया*	8,790.21	7,049.97	4,733.66
38	(अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल निधियों में योगदान)	1,304.87	2,723.23	1,106.83
39	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया	18.48	169.38	-
कुल योग (करोड़ में)		**19,033.15**	**18,646.18**	**18,168.30**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल]

*कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

** कंपनियों ने उस राज्य का नाम निर्दिष्ट नहीं किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

******